

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 54/2017

दायर दिनांक 06.03.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. बालु पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. सरपंच, ग्राम पंचायत बिंचावा 2. पेमा राम पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 60 वर्ष 3. डालूराम पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 58 वर्ष 4. बुधा पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 48 वर्ष 5. मंगाराम पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 46 वर्ष 6. दीपा पुत्र स्व0 कानाराम उम्र 44 वर्ष 7. रुकमा पुत्री स्व0 कानाराम उम्र 8. रेंवती पुत्री स्व0 कानाराम उम्र 9. मोहनी पुत्री स्व0 कानाराम उम्र 10. ममता पत्नि बालूराम उम्र 35 वर्ष 10/1 बावड़ी देवी पत्नि डालू उम्र 47 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 11. मरुधरा बैंक, बाठड़ी 12. तहसीलदार डीडवाना।
बनाम्	

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी सं0 10/1।

--: निर्णय :-

दिनांक 24.09.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 09 तथा खातेदार स्व0 बंशी0सं0 आपस में सगे भाई-बहिने है। वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 09 तथा खातेदार स्व0 कानाराम की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा सं0 415 रकबा 08 बिस्वा गै0 मु0 बाड़ा व खसरा सं0 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा वाकै सरहद बिंचावा में स्थित है।

यह है कि उक्त खेत में कुल 10 बांटे थे, जिसमें खातेदार बंशीराम फौत हो गया, जिससे अब 09 बंट बचे, जिसमें प्रतिवादी सं0 02 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 10 ममता को बेचाण कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 10 ममता ने दिनांक 07.05.2018 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 10/1 बावड़ी देवी जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के बैचाण कर दिया है। अब बाकी तीन बहिने अपना हक हिस्सा नहीं लेना चाहती अब सम्पूर्ण दोनो खसरो में जिस हिसाब से उपजाऊ भूमि व कम उपजाऊ भूमि के हिसाब से बंटवारा कर रखा है।

यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि में खातेदार बंशी0सं0 लाओलाद फौत होने से इनकी सम्पति पर विधिक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 09 का बनता है। लेकिन सम्पूर्ण सेवा चाकरी व बिमारी में व अन्तिम संस्कार में खर्च वादी बालुराम ने ही किया था। इसलिए मृतक के जमीन के हक हिस्से पर हक वादी बालुराम का ही है तथा आज भी कब्जा काश्त वादी बालूराम का ही है।

यह है कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण उसी अनुरूप कब्जा काश्त है जो निम्न प्रकार है-

1. वादी बालूराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं0 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।




 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

2. प्रतिवादी सं० 01 ग्राम पंचायत, बिंचावा के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
3. प्रतिवादी सं० 03 डालूराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि नजरी अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
4. प्रतिवादी सं० 04 बुधाराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
5. प्रतिवादी सं० 05 मंगाराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बिघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
6. प्रतिवादी सं० 06 दीपाराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
7. प्रतिवादी सं० 10/1 बावड़ी देवी के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :-

1. वादी बालूराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
2. प्रतिवादी सं० 01 ग्राम पंचायत, बिंचावा के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
3. प्रतिवादी सं० 03 डालूराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि नजरी अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
4. प्रतिवादी सं० 04 बुधाराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
5. प्रतिवादी सं० 05 मंगाराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बिघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
6. प्रतिवादी सं० 06 दीपाराम के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
7. प्रतिवादी सं० 10/1 बावड़ी देवी के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।

यह है कि प्रतिवादी सं० 02 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं० 10 को बैचाण कर दिया था तथा प्रतिवादी सं० 10 ने प्रतिवादी सं० 10/1 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचाण कर दिया है इसलिए अब प्रतिवादी सं० 07 ता 09 अपना हिस्सा भाईयों के हक में छोड़ना चाहती है तथा प्रतिवादी सं० 10 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं० 02 व प्रतिवादी सं० 07 ता 09 व 10 का नाम उक्त सभी खसरान् की भूमि में से राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजुद तामिल अनुपस्थित अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी व प्रतिवादी संख्या 03, 10, 10/1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान्, वादी के दावा के अनुसार घोषणा की जाती है।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार जरिये राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्य राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, बिचावा में निम्नलिखित खसरान् खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा गै० मु० बाड़ा व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, राजीनामा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित अनुसार निम्न प्रकार खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. वादी बालूराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि।
2. प्रतिवादी सं० 01 ग्राम पंचायत, बिचावा के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि।
3. प्रतिवादी सं० 03 डालूराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि।
4. प्रतिवादी सं० 04 बुधाराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।
5. प्रतिवादी सं० 05 मंगाराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बिघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।
6. प्रतिवादी सं० 06 दीपाराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि।
7. प्रतिवादी सं० 10/1 बावड़ी देवी के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी सं० 02, 07, 08, 09, 10 का नाम उक्त खसरान् की भूमि में से नाम हटाया जाता है। वादी व प्रतिवादी सं० 03, 05, 06 के बंट व हिस्से की भूमि में मरुधरा बैंक बांठड़ी का रहन यथावता रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

राजीनामा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डिडसहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डिडसहायक (कलक्टर)
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 54 / 2017

दायर दिनांक 06.03.2017

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. बालु पुत्र स्व० कानाराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।	1. सरपंच, ग्राम पंचायत बिंचावा 2. पेमा राम पुत्र स्व० कानाराम उम्र 60 वर्ष 3. डालूराम पुत्र स्व० कानाराम उम्र 58 वर्ष 4. बुधा पुत्र स्व० कानाराम उम्र 48 वर्ष 5. मंगाराम पुत्र स्व० कानाराम उम्र 46 वर्ष 6. दीपा पुत्र स्व० कानाराम उम्र 44 वर्ष 7. रूकमा पुत्री स्व० कानाराम उम्र 8. रेंवती पुत्री स्व० कानाराम उम्र 9. मोहनी पुत्री स्व० कानाराम उम्र 10. ममता पत्नि बालूराम उम्र 35 वर्ष 10/1 बावड़ी देवी पत्नि डालू उम्र 47 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०। 11. मरूधरा बैंक, बाटड़ी 12. तहसीलदार डीडवाना।
	बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 24.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी सं० 10/1 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, बिंचावा में निम्नलिखित खसरान् खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा गै० मु० बाड़ा व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, राजीनामा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित अनुसार निम्न प्रकार खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. वादी बालूराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि।
2. प्रतिवादी सं० 01 ग्राम पंचायत, बिंचावा के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 01 बिस्वा भूमि।
3. प्रतिवादी सं० 03 डालूराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि।
4. प्रतिवादी सं० 04 बुधाराम के बंट में आई भूमि :- खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।
5. प्रतिवादी सं० 05 मंगाराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बिघा 09 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।
6. प्रतिवादी सं० 06 दीपाराम के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 415 रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि।
7. प्रतिवादी सं० 10/1 बावड़ी देवी के बंट में आई भूमि - खसरा सं० 416 रकबा 37 बीघा 09 बिस्वा में से 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी सं० 02, 07, 08, 09, 10 का नाम उक्त खसरान् की भूमि में से नाम हटाया जाता है। वादी व प्रतिवादी सं० 03, 05, 06 के बंट व हिस्से की भूमि में मरूधरा बैंक बांटड़ी का रहन यथावता रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

राजीनामा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.09.2021 को सरे इजलास
 में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)